



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 2025
भाद्रपद 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 1005/छ:-पु०-9-25-1924876
लखनऊ, 4 सितम्बर, 2025

अधिसूचना
विविध

प०आ०—203

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 356 की उपधारा (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 356 के उपबंधों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए विस्तारित करते हैं, जिसके संबंध में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन उद्घोषणा प्रकाशित की गई है।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1005/VI-P-9-25-1924876, dated September 4, 2025:

No. 1005/VI-P-9-25/1924876
Dated Lucknow, September 4, 2025

IN exercise of the powers conferred under sub-section (8) of Section 356 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, is pleased to extend the provisions of Section 356 of the aforesaid Act to a person accused of an offence under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023) or any other law for the time being in force in respect of whom a proclamation has been published under sub-section (1) of Section 84 of the aforesaid Act.

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 264 राजपत्र-2025-(780)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० गृह पुलिस-2025-(781)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।